पत्रांक – खा०प्र०–01 / रा०खा०सु०(खा०उ०वि०) / 7–20 / 2015 867

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

/ राँची, दिनांक– 07/04/20

विषय :– **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त में वितरित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का पत्रांक 7–1 / 2019(ii)–BP-III, दिनांक 30.03.2020 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त में वितरित करने हेतु निम्न खाद्यान्न का आवंटन प्राप्त हुआ है –

लाभुक की श्रेणी	मासिक खाद्यान्न (चावल) का आवंटन (एमटी में)
अन्त्योदय परिवार के लाभुक	18987.780
पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार के लाभुक	112862.335
कुल	**131850.115**

2. उक्त आवंटन के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित AAY एवं PHH श्रेणी के लाभुकों के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह मुफ्त में वितरण करने हेतु माह अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए खाद्यान्न (चावल) का जिलावार मासिक आवंटन संलग्न विवरणी (परिशिष्ट–1) के अनुसार किया जाता है।

3. भारत सरकार से प्राप्त उक्त आवंटित खाद्यान्न में से माह अप्रैल 2020 के लिए आवंटित खाद्यान्न के उठाव की अवधि 30 अप्रैल 2020 तक निर्धारित की गई है।

संबंधित आवंटित खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा किया जायेगा एवं उठाव किये गये खाद्यान्न को झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जनवितरण प्रणाली दुकान तक डोर स्टेप डिलिवरी के माध्यम से खाद्यान्न पहुचायी जायेगी।

तत्पश्चात जनवितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से लाभुकों के बीच मुफ्त में खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।

4. उपर्युक्त क्रम में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को 75 रूपये प्रति क्विंटल की दर से संचलन अनुदान, सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को 40 रूपये प्रति क्विंटल की दर से डोर स्टेप डिलिवरी की राशि एवं 100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से डीलर कमीशन की राशि अलग से आवंटित की जायेगी।

5. उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 796, दिनांक 23.03.2020 के माध्यम से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण एवं संभावित महामारी को देखते हुए अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को आगामी दो माह यथा अप्रैल 2020 एवं मई 2020 का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में वितरित किये जाने का निदेश दिया गया है। इस संदर्भ में माह अप्रैल 2020 एवं मई 2020 के लिए भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण माह मई 2020 में एक साथ किया जायेगा। साथ ही, माह जून 2020 में नियमित मासिक खाद्यान्न एवं अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण एक साथ किया जायेगा।

07/04/20

6. झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को यह निदेश दिया जाता है कि जिलावार उपावंटित खाद्यान्न की मात्रा के आलोक में माह अप्रैल एवं मई 2020 के लिए खाद्यान्न का उठाव दिनांक 30.04.2020 तक सुनिश्चित किया जाय।

तत्पश्चात माह जून 2020 के लिए खाद्यान्न का उठाव माह अप्रैल एवं मई 2020 के लिए उठाव किये गये खाद्यान्न की मात्रा में से जन वितरण प्रणाली दुकानदार को आपूर्ति की गयी खाद्यान्न की मात्रा के आलोक में शेष बचे खाद्यान्न को घटाकर किया जाय ताकि भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न का विचलन न हो।

7. निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड की निजी जिम्मेवारी होगी कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम तक एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जनवितरण प्रणाली दुकान तक खाद्यान्न का परिवहन तथा लाभुकों के बीच खाद्यान्न का ससमय वितरण का व्यापक अनुश्रवण की जाय।

साथ ही, खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं वितरण में आनेवाली कठिनाईयों के संबंध में अपने स्तर से जिले को निदेश दिए जाए एवं खाद्यान्न के वितरण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र माहवार रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8. उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों की निजी जिम्मेवारी होगी कि आवंटित खाद्यान्न का ससमय उठाव, परिवहन एवं वितरण किया जाय।

9. उक्त खाद्यान्न का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों के बीच जन वितरण प्रणाली दुकान द्वारा ई–पॉस मशीन के माध्यम से मुफ्त में किया जाय।

10. यह आवंटन अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत नियमित आवंटन के अतिरिक्त होगा।

11. उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त आवंटित खाद्यान्न (चावल) का ससमय उठाव, परिवहन एवं वितरण सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

अनु०–यथोक्त

(अरुण कुमार सिंह),
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– खा०प्र०–01/रा०खा०सु०/7–8/2018 867 ./राँची, दिनांक– 07/04/20

प्रतिलिपि–तकनीकी निदेशक, एनआईसी, झारखण्ड को अनुलंग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि आवंटित खाद्यान्न के वितरण हेतु निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए समस्त तकनीकी कार्यों को पूरा किया जाय।

अनु०–यथोक्त

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक– खा०प्र०–01/रा०खा०सु०/7–8/2018 867 ./राँची, दिनांक– 07/04/20

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची एवं जमशेदपुर/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति), धनबाद/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव, भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग/अवर सचिव, विभागीय बजट प्रशाखा/मे० लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड, राँची को अनुलंग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

07/04/20

परिशिष्ट–1

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को माह अप्रैल 2020 से जून 2020 तक की अवधि के लिए जिलावार अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल) का आवंटन

(मात्रा टन में)

क्र०सं०	जिला का नाम	अन्त्योदय परिवार के लाभुकों के लिए आवंटित खाद्यान्न	पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ लाभुकों के लिए आवंटित खाद्यान्न	कुल आवंटित खाद्यान्न
1	2	3	4	5=3+4
1	बोकारो	501.325	6,243.124	6,744.449
2	चतरा	853.690	3,594.859	4,448.549
3	देवघर	349.375	5,569.054	5,918.429
4	धनबाद	611.590	8,720.814	9,332.404
5	दुमका	966.575	4,635.254	5,601.829
6	गढ़वा	655.475	5,282.214	5,937.689
7	गिरिडीह	1,760.220	8,753.559	10,513.779
8	गोड्डा	502.610	5,031.434	5,534.044
9	गुमला	828.800	3,295.979	4,124.779
10	हजारीबाग	1,311.265	5,985.644	7,296.909
11	जामताड़ा	393.805	3,179.619	3,573.424
12	खूँटी	597.805	1,650.194	2,247.999
13	कोडरमा	396.065	2,266.139	2,662.204
14	लातेहार	354.885	3,022.199	3,377.084
15	लोहरदगा	288.080	1,858.179	2,146.259
16	पाकुड़	341.455	3,527.879	3,869.334
17	पलामू	962.090	8,186.019	9,148.109
18	चाईबासा	1,677.395	4,540.869	6,218.264
19	जमशेदपुर	984.465	7,317.484	8,301.949
20	रामगढ़	465.250	2,489.309	2,954.559
21	राँची	2,147.035	7,776.479	9,923.514
22	साहेबगंज	820.425	3,939.264	4,759.689
23	सरायकेला	690.540	3,733.979	4,424.519
24	सिमडेगा	385.580	2,404.759	2,790.339
	कुल	**18,845.800**	**1,13,004.306**	**1,31,850.106**

7.4.20

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

536

F.No.7-1/2019 (ii)-BP.III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Deptt. Of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 30th March, 2020

To,

1. Principal Secretaries/ Secretaries,
   Food and Civil Supplies Department (All States/UTs)
2. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.

Sub: **PRADHAN MANTRI GARIB KALYAN ANNA YOJANA - Additional allocation of foodgrain for distribution to all the beneficiaries under TPDS (AAY and PHH) @ 5kg per person per month free of cost for a period of three months, i.e. April-June, 2020**

VS. Pl. put up
31.3.20

Sir/Madam,

In continuation of this Department's Office Memorandum No. F.No.7-1/2019(i)-BP.III dated 30.3.2020 on the above cited subject, I am directed to convey additional allocation of foodgrain to States/UTs for distribution to all the beneficiaries covered under TPDS (AAY and PHH) @ 5kg per person per month for a period of three months i.e. April-June, 2020, free of cost, as per Annexure.

2. The States/UTs Govt. are advised to lift the additional allocation together with the monthly allocation under NFSA within the timelines prescribed for lifting under NFSA. However, for States/UTs who have already lifted the allocation under NFSA for April may lift this additional allocation for April till 30 April. Further, the States/UTs may at their discretion lift the additional monthly allocation earlier subject to availability of stocks with FCI within the State/UT.

3. The above allocation will be in addition to the regular monthly allocation under NFSA

4. Please acknowledge the receipt of the letter.

Yours faithfully,

30/3/2020

(Abhay Kumar)
Under Secretary to Govt. of India

अभय कुमार / ABHAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Deptt. of Food & Public Distribution
कृषि भवन, नई दिल्ली Krishi Bhawan, New Delhi-110001

Encl: as above.

Copy to:

1. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, New Delhi.
2. Addl. Secretary (Policy & FCI)
3. Economic Adviser(NFSA)
4. ED (Sales) /General Manager (Sales), FCI, New Delhi.
5. The GM, FCI, Regional Offices, concerned.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(534)

F.No.7-1/2019 (ii)-BP.III)

ANNEXURE

Additional allocation of foodgrains to all the beneficiaries under PRADHAN MANTRI GARIB KALYAN ANNA YOJANA for a period of three months i.e April-June, 2020

Name of State/ UT	No. of persons identified under NFSA(in Lakh)			Additional allocation per month(In MTs)					
	AAY	PHH	Total	AAY			PHH		
				Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total
Andhra Pradesh	23.52	244.71	268.23	0.00	11760.00	11760.000	0.000	122355.000	122355.000
Arunachal Pradesh	1.47	6.74	8.21	0.00	736.55	736.550	0.000	3369.055	3369.055
Assam	29.59	221.94	251.53	0.00	14793.27	14793.270	0.000	110971.350	110971.350
Bihar	116.55	740.57	857.12	0.00	58275.00	58275.000	0.000	370285.000	370285.000
Chattisgarh	20.42	180.35	200.77	0.00	10210.00	10210.000	0.000	90175.000	90175.000
Delhi	2.90	69.83	72.73	0.00	1452.02	1452.015	0.000	34914.605	34914.605
Goa	0.50	4.82	5.32	0.00	248.54	248.540	0.000	2411.430	2411.430
Gujarat	42.77	339.77	382.54	0.00	21384.87	21384.870	0.000	169883.065	169883.065
Haryana	11.35	115.14	126.49	5675.00	0.00	5675.000	57570.000	0.000	57570.000
Himachal Pradesh	7.67	20.98	28.64	0.00	3832.57	3832.570	0.000	10489.710	10489.710
Jharkhand	37.98	225.72	263.70	0.00	18987.78	18987.780	0.000	112862.335	112862.335
Karnataka	43.91	358.02	401.93	0.00	21955.00	21955.000	0.000	179010.000	179010.000
Kerala	25.59	129.21	154.80	0.00	12793.14	12793.140	0.000	64606.920	64606.920
Madhya Pradesh	50.20	496.22	546.42	0.00	25101.66	25101.660	0.000	248108.340	248108.340
Maharashtra	108.01	592.16	700.17	0.00	54005.00	54005.000	0.000	296080.000	296080.000
Manipur	2.01	22.56	24.57	0.00	1002.50	1002.500	0.000	11281.405	11281.405
Meghalaya	2.91	18.54	21.46	0.00	1456.81	1456.805	0.000	9270.780	9270.780
Mizoram	0.82	5.86	6.68	0.00	408.70	408.700	0.000	2932.375	2932.375
Nagaland	2.11	11.94	14.05	0.00	1053.83	1053.825	0.000	5969.610	5969.610
Odisha	41.78	281.82	323.60	0.00	20888.81	20888.810	0.000	140909.270	140909.270
Punjab	7.71	133.74	141.45	3855.00	0.00	3855.000	66870.000	0.000	66870.000
Rajasthan	37.00	409.62	446.62	18500.00	0.00	18500.000	204810.000	0.000	204810.000
Sikkim	0.55	3.24	3.79	0.00	273.54	273.535	0.000	1620.405	1620.405
Tamil Nadu	73.27	284.07	357.34	0.00	36635.19	36635.190	0.000	142033.370	142033.370

30/3/2020
KUMAR
Under Secretary
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Di...
Krishi Bhawan, New Del...

Scanned with CamScanner

1533

F.N.7-1/2019(ii)·BP III

Telangana	15.29	176.33	191.62	0.00	7645.00	7645.000	0.000	88165.000	88165.000
Tripura	4.98	19.85	24.83	0.00	2489.67	2489.665	0.000	9924.400	9924.400
Uttar Pradesh	204.73	1315.86	1520.59	0.00	102362.50	102362.500	0.000	657930.715	657930.715
Uttarakhand	7.92	54.04	61.96	0.00	3959.23	3959.230	0.000	27019.720	27019.720
West Bengal	54.99	546.85	601.84	0.00	27495.19	27495.190	0.000	273423.660	273423.660
A&N	0.14	0.46	0.61	0.00	72.14	72.135	0.000	232.175	232.175
Daman & Diu	0.04	0.72	0.76	0.00	21.60	21.595	0.000	360.465	360.465
DNH (Kind)	0.20	1.53	1.73	0.00	101.32	101.315	0.000	762.715	762.715
Lakshadweep	0.04	0.18	0.22	0.00	20.00	20.000	0.000	90.000	90.000
J&K	10.61	61.44	72.05	0.00	5303.22	5303.220	0.000	30721.565	30721.565
Ladakh	0.29	1.15	1.44	0.00	146.02	146.020	0.000	573.455	573.455
Total	989.80	7095.99	8085.79	28030.00	466870.63	494900.630	329250.000	3218742.895	3547992.895
Union Territories or parts thereof implementing DBT Cash									
DNH (Cash)	0.00	0.36	0.36	0.00	0.68	0.675	0.000	181.305	181.305
Chandigarh	0.01	2.74	2.75	3.29	0.00	3.285	1372.405	0.000	1372.405
Puducherry	0.84	5.44	6.28	0.00	420.04	420.035	0.000	2721.695	2721.695
Total(DBT)	0.85	8.55	9.40	3.29	420.71	424.00	1372.41	2903.00	4275.41
Grand Total	990.65	7104.54	8095.19	28033.29	467291.34	495324.63	330622.41	3221645.90	3552268.30

30/3/2020

अभय कुमार / ABHAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Deptt. of Food & Public Distribution
Krishi Bhawan, New Delhi 110001

Scanned with C

Scanned with CamScanner